समक्ष: महिंदर सिंह सुल्लर, माननीय न्यायमूर्ति

विशाल सिंगला-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

सी.आर.एल.एम. 2011 का क्रमांक एम-1545

जनवरी 5,2012

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ~ धारा.482, 154, 169 और 170 - भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा165,166,167,182,193,196, 323, 324, 506 और 120-बी - याचिकाकर्ता ने निजी प्रतिवादियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया - पुलिस ने रद्दीकरण रिपोर्ट अग्रेषित किया – आपराधिक शिकायत दर्ज की गई - मजिस्ट्रेट ने निजी प्रतिवादियों को बुलाया - SHO ने उसी समय शिकायतकर्ता पर IPC की धारा 182 के तहत मुकदमा चलाने के लिए कैलेंडर दायर किया - माना, धारा 182 के तहत कार्यवाही कायम नहीं है - चूंकि निजी उत्तरदाताओं को बुलाया गया - मामला न्याय के अधीन है - सूचना को गलत नहीं कहा जा सकता - धारा 182 के तहत कार्यवाही निरस्त।

अभिनिर्धारित किया गया कि यह कोई विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही उसी घटना के संबंध में शिकायत (अनुलग्नक पी 4) दर्ज कर दी है और प्रारंभिक साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, ट्रायल मजिस्ट्रेट ने निजी उत्तरदाताओं को समन आदेश (परिशिष्ट पी-5) के माध्यम से तलब किया है। इसका मतलब है, सूचना का विषय विचाराधीन है और ट्रायल मजिस्ट्रेट इस संदर्भ में याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए संस्करण की सच्चाई या अन्यथा से संबंधित

मामले को संज्ञान में लेता है। उस स्थिति में, आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्यवाही कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है।

(पैरा 16)

आगे कहा गया कि एक बार याचिकाकर्ता ने निजी शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपियों को तलब किया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी झूठी थी। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि समान अपराधों के संबंध में शिकायत और समन आदेश की लंबितता को देखते हुए, याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है काफी बल और विपरीत से युक्त है औ उत्तरदाताओं के विद्वान वकील की 'स्ट्रिक्टो सेंसु' की दलील वर्तमान परिस्थितियों में निरस्त होने योग्य हैं।

(पैरा 17)

याचिकाकर्ता के वकील संजय गुप्ता

प्रतिवादी नंबर I और 2 के लिए सुखविंदर सिंह नारा, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, पंजाब।

एस.एस. दीनारपुर, प्रतिवादी नंबर 3 और 4 के वकील.

मेहिंदर सिंह सुल्लर, जे.

(1) 'तथ्यों की रूपरेखा, जिसे तत्काल याचिका में शामिल और रिकॉर्ड से निकलने वाले मुख्य विवाद को तय करने के सीमित उद्देश्य के लिए आवश्यक उल्लेख की आवश्यकता है, वह यह है कि, मेडिकल रूक्का के मद्देनजर, एचसी सलंदी कुमार सिविल अस्पताल, यमुनानगर गए और एमएलआर एकत्र की। उन्होंने घायल-याचिकाकर्ता विशाल सिंगला का बयान दर्ज किया, जो निम्नलिखित था: -

"उपर्युक्त पते पर रहते हैं और छछरौली में रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान मिली है। मेरी दुकान का कारोबार मंदी में था। जगदीश मदान पुत्र शादी लाल निवासी खत्री और अविनाश कुमार पुत्र फूल चंद जाति ब्राह्मण निवासी छछरौली अक्सर मेरी दुकान पर आते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि चूंकि मेरा व्यवसाय मंदी में है और इसलिए, वे मेरे लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था कर सकते हैं और इसके बदले में वे 2 लाख रुपये का शुल्क लेंगे क्योंकि उनका बहुत अच्छा प्रभाव है। 20.6.2007 को शाम को जगदीश मदान और अविनाश कुमार मेरे आवास पर आए और 2 लाख रुपये की मांग की। उस समय मेरे पिता और बलदेव सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी छछरौली मौजूद थे और मेरे पिता ने रुपये की राशि दी थी। उनसे 2 लाख रुपये मांगे और उन्होंने वादा किया कि अगस्त 2007 तक मुझे नौकरी मिल जाएगी लेकिन आज तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली इसलिए हमने पैसे वापस मांगे लेकिन वे मामले को टालते रहे। कल यानी 30.10.2008 को शाम 1 बजे मैं पैसे वापस मांगने के लिए जगदीश कुमार मदन की दुकान पर गया और अविनाश कुमार वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अगले दिन यानी 31.10.2008 को मेरे 2 लाख रुपए मुझे वापस कर दिए जाएंगे और मुझे दोपहर 1.30 बजे फवारा चौक यमुनानगर पहुंचना होगा और बताए अनुसार मैं दोपहर 1.30 बजे फवारा चौक यमुनानगर पहुंच गया। जगदीश मदान और अविनाश कुमार पहले से ही काले रंग की एक होंडा एटर्नो के साथ वहां मौजूद थे और उन्होंने मुझे उसी पर बैठने के लिए कहा। मैंने उन दो व्यक्तियों के बीच की सीट ली और वे मुझे सिटी सेंटर से शमशान घाट से आगे ले गए, मैंने उनसे पूछा कि वे मुझसे कौन सी जगह लेकर जा रहे हैं और फिर उन्होंने होंडा एटर्नो को रोका और मुझे धक्का दिया और मुझे सड़क पर फेंक दिया और मुक्के मारने लगे। जगदीश मदान ने अपनी जेब से चाकू निकाला और एक झटका मारा जो बायें कंधे पर लगा और दूसरा झटका मेरे दाहिने कंधे पर लगा और अविनाश कुमार ने लातें मारीं जो मेरे बाएँ हाथ पर लगीं और फिर इन दोनों व्यक्तियों ने मेरे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर लातों से वार किए। मैने शोर मचाया मार दित्ता मार दिता और अलार्म सुनकर गुरचरण सिंह पुत्र डीशर सिंह निवासी रणजीत गली और गुरजिंदर

सिंह पुत्र अजाइब सिंह निवासी शाहपुर थाना बिलासपुर मौके पर आए और उन्होंने मुझे उनसे बचाया। अगर वे मुझे नहीं बचाते तो मुझे और भी चोटें आतीं.' भागते समय उन्होंने कहा कि उस दिन तो उन्हें बचा लिया गया लेकिन भविष्य में वे मुझे भी खत्म कर देंगे फिर दोनों होंडा एटर्नो के साथ मौके से भाग गए। गुरचरण सिंह ने मुझे सिविल अस्पताल यमुनानगर में भर्ती करवाया जहां मेरा इलाज चल रहा है। जगदीश मदान और अविनाश कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मैंने बयान सुना है और यह सही है. "

(2) उपरोक्त आरोपों के आधार पर, पुलिस स्टेशन सिटी यमुनानगर की पुलिस द्वारा धारा 323,324 और 506 सहपठित धारा 34 आई पी सी के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप में आरोपी-निजी उत्तरदाताओं के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। .

(3) जांच के दौरान, पुलिस स्टेशन, सिटी यमुनानगर के एसएचओ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता ने निजी प्रतिवादियों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया है और मामले को रद्द करने की सिफारिश की है। पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 28.4.2009 (अनुलग्नक पी।) की रिपोर्ट के आधार पर, रद्दीकरण रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी।

(4) पुलिस की कार्रवाई से दुखी होकर याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट में विरोध याचिका (अनुलग्नक पी 3) दायर की। उन्होंने आईपीसी की धारा 165,166,167, 193,196, 323, 324, 506 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए सभी आरोपियों-प्रतिवादियों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत (अनुलग्नक पी 4) भी दर्ज की है। अपराधों का संज्ञान लेते हुए, मजिस्ट्रेट ने निजी प्रतिवादियों को आरोपी के रूप में धारा 323,324 और 506 के साथ धारा 341 पीसी के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए समन आदेश दिनांक 11.3.2010 (अनुलग्नक पी 5) के माध्यम से बुलाया।

(5) उसी समय, पुलिस स्टेशन सिटी यमुनानगर के एसएचओ ने इस संबंध में याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के खिलाफ धारा 182 आईपीसी के तहत मुकदमा चलाने के लिए एक कैलंदरा (अनुलग्नक पी 2) तैयार किया और दायर किया।

(6) याचिकाकर्ता आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्यवाही शुरू होने से संतुष्ट नहीं था और धारा 482 सीआरपीसी के प्रावधानों को लागू करते हुए, विवादित कैलेंडर (अनुलग्नक पी-2) और उसके बाद उत्पन्न होने वाली अन्य सभी कार्यवाही को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी। इस तरह, मैं इस मामले को समझ गया हूँ।

(7) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने, उनकी बहुमूल्य मदद से रिकॉर्ड का अध्ययन करने और पूरे मामले पर गहन विचार करने के बाद, मेरे विचार से, तत्काल याचिका इस संदर्भ में स्वीकार करने योग्य है।

(8) जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की, जैसा कि केवल धारा 182 आईपीसी के तहत विचार किया गया था, उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ की रिपोर्ट दिनांक 3.9.2009 (अनुलग्नक पी-2) के आधार पर, जो निम्नलिखित प्रभाव है:-

"*मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई और जांच के दौरान मामला झूठा पाया गया और जगदीश मदान और अविनाश कुमार ने विशाल सिंगला के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और विशाल सिंगला को चोटें आईं और उसने झूठा मामला दर्ज करवाया। डीडीए ने राय दी है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है और इसलिए, कलेंद्र को तैयार किया गया और आरोपी को बुलाया जाए और मुकदमा चलाया जाए। गवाहों की सूची संलग्न है।*"

(9) इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता और आरोपी प्रतिवादियों द्वारा दायर आपराधिक शिकायत (अनुलग्नक पी4) के मद्देनजर मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 323, 324 और 506 के साथ पठित धारा 34 आईपीसी के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए मजिस्ट्रेट सम्मन आदेश द्वारा बुलाया गया है (अनुलग्नक पी5)।

(10) इस प्रकार रिकॉर्ड से, अब संक्षिप्त और महत्वपूर्ण प्रश्न, हालांकि महत्वपूर्ण, जो वर्तमान याचिका में निर्धारण के लिए उठता है, कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्यवाही चलने योग्य है या नहीं?

(11) पार्टियों के विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से, उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक होना चाहिए और इस संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 182 आईपीसी के तहत आपराधिक मुकदमा कानूनी रूप से शुरू नहीं किया जा सकता है।

(12) संकेतित रिपोर्ट के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि एसएचओ ने बहुत ही आकस्मिक तरीके से मौखिक और साथ ही चिकित्सीय /दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया है और बिना किसी आधार कि निजी उत्तरदाताओं को झूठा फंसाया गया है। मेरे लिए, जांच अधिकारी ने जांच के अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है, जैसा कि सीआरपीसी के अध्याय XII के तहत परिकल्पित है, जो पुलिस द्वारा सूचना की प्राप्ति और एक आपराधिक मामले की जांच करने की उनकी शक्ति से संबंधित है। धारा 154 सी.आर.पी.सी. यह मानता है कि जैसे ही, पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय मामले की सूचना प्राप्त होती है, उसे इसकी सत्यता के प्रतीक के रूप में शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद, इसे लिखित रूप में देना होता है।

(13) क्रमानुसार, धारा 169 सीआर. पी.सी. यह मानता है कि यदि, इस अध्याय के तहत जांच करने पर, प्रभारी अधिकारी पुलिस स्टेशन को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो ऐसा अधिकारी, यदि ऐसा व्यक्ति हिरासत में है, उसे जमानतदारों के साथ या उसके बिना, जैसा कि ऐसा अधिकारी निर्देश दे, एक बाॅनड निष्पादित करने पर रिहा कर दें और जब भी आवश्यक हो, पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने और मुकदमा चलाने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए उस पर आरोप लगाया जाए या उसे मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया जाए।

(14) इसी प्रकार धारा 170 सी.आर.पी.सी. आगे परिकल्पना की गई है कि यदि, इस अध्याय के तहत जांच करने पर, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त पर्याप्त सबूत या उचित आधार है, तो ऐसा अधिकारी हिरासत में लिए गए आरोपी को संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। पुलिस रिपोर्ट पर अपराध और आरोपी पर मुकदमा चलाना या उसे मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करना, या, यदि इसलिए जमानती है और आरोपी सुरक्षा देने में सक्षम है, तो निर्धारित दिन पर ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए उससे सुरक्षा लेगा और जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए, उसे ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष दिन-प्रतिदिन उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।

(15) वर्तमान मामले में, जांच अधिकारी एक कानूनी गहरी गलती में फंस गया है, अपने वैधानिक जांच क्षेत्राधिकार को पार कर गया है और अवैध रूप से एक आपराधिक न्यायालय का कार्य ग्रहण किया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ अवैध और नाॅन एस्ट रिपोर्ट (अनुलग्नक पी 2) के आधार पर धारा 182 आईपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करना, कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है, जिसे कानूनी तौर पर जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और यह इसके लिए उत्तरदायी है। इस प्रासंगिक संबंध में 182 आईपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही रद्द किया जाए।

(16) इस मामले को एक अलग नजरिये से भी देखा जा सकता है। यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही उसी घटना के संबंध में शिकायत (अनुलग्नक पी 4) दर्ज कर दी है और प्रारंभिक साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, ट्रायल मजिस्ट्रेट ने निजी उत्तरदाताओं को समन आदेश (अनुलग्नक पी 5) के माध्यम से बुलाया है। इसका मतलब है, सूचना का विषय विचाराधीन है और ट्रायल मजिस्ट्रेट इस संदर्भ में याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए संस्करण की सच्चाई या अन्यथा से संबंधित मामले को जब्त कर लेता है। उस स्थिति में, आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्यवाही कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है।

(17) इस न्यायालय द्वारा ***रमेश चंद बनाम हरियाणा राज्य***[1], और ***केहर सिंह बनाम पंजाब राज्य*** सीआरएम संख्या एम-7093 (2009) के मामलों में एक समान प्रश्न का निर्णय 25.10.2010 को किया गया। मामले पर गहराई से विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया गया कि एक बार याचिकाकर्ता ने निजी शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपियों को तलब किया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी झूठी थी। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि समान अपराधों के संबंध में शिकायत और समन आदेश की लंबितता को देखते हुए, याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है काफी बल युक्त है और इसके विपरीत उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की दलीलें 'स्ट्रिक्टो सेंसु' वर्तमान परिस्थितियों में निरस्त होने योग्य हैं। उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून का अनुपात "म्यूटैटिस-म्यूटंडिस" इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होता है और मौजूदा समस्या का पूर्ण उत्तर है।

(18) उपरोक्त कारणों के आलोक में और गुणों पर और कुछ टिप्पणी किए बिना, ऐसा न हो कि शिकायत की सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े (अनुलग्नक पी4), तत्काल याचिका स्वीकार की जाती है। रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-2) के तहत आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्यवाही की शुरूआत और उससे उत्पन्न होने वाली सभी बाद की कार्यवाही को मामले की प्राप्त परिस्थितियों में रद्द कर दिया जाता है।

(19) यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि, यहां ऊपर जो कुछ भी देखा गया है, वह किसी भी तरह से मुख्य शिकायत मामले की योग्यता पर प्रतिबिंबित नहीं करेगा, क्योंकि धारा 182 आईपीसी के तहत तत्काल विवाद को तय करने के सीमित उद्देश्य के लिए इसे दर्ज किया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शिवदेव शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अम्बाला,हरियाणा

[1] 2006 (4) आर सी आर (सी आर एल) 718।